GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES
(GST-POLICY BRANCH)
VYAPAR BHAWAN, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

Notification No. 83/2020 – State Tax

Dated.../.../2021

No. F.2(354)/POLICY-GST/2020/ 4101-4111 -In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi in the Department of Finance (Revenue-I), No. 74/2020 – State Tax, dated the 4th January, 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F.3 (75)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/11, dated the 4th January, 2021, and notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 75/2020-Central Tax, dated the 15th October, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 635 (E), dated the 15th October, 2020,except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), for each of the tax periods, till the eleventh day of the month succeeding such tax period:

Provided that the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the said rules for the class of registered persons required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39 of the said Act, shall be extended till the thirteenth day of the month succeeding such tax period.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2021.

(SANTOSH D. VAIDYA)
COMMISSIONER (STATE TAX)

No. F.2(311)/POLICY-GST/2020/ 401 - 411

Dated 29.01/2021

Copy forwarded for information to:

1. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
3. The Chief Commissioner, Central Tax, Delhi, Govt. of India, C.R. Building, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
6. All Special/Additional/Joint Commissioners, Department of Trade And Taxes, Vyapar Bhawan, I.P Estate, New Delhi.
7. The Special Commissioners (PR), Department of Trade And Taxes, Vyapar Bhawan, I.P Estate, New Delhi to arrange to give wide publicity to this notification.
8. All Asstt. Commissioners/GSTOs, Department of Trade And Taxes, Vyapar Bhawan, I.P Estate, New Delhi, through their Zonal Incharges.
9. The President/Secretary, Sales Tax Bar Association (Regd.), Department of Trade And Taxes, Vyapar Bhawan, I.P Estate, New Delhi.
10. Guard File.
11. Website.

(VIVEK MITTAL)
ASSISTANT COMMISSIONER (POLICY)

[illegible] दिल्ली सरकार
व्यापार एवं कर विभाग
(नीति शाखा)
व्यापार भवन, आई. पी. इस्टेट: नई दिल्ली–110002.

अधिसूचना संख्या 83/2020–राज्य कर

दिनांक: 29/01/2021

सं.फा. 2(354)/पॉलिसी/जीएसटी/2020/401-411/दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप–धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व–I) संख्या 74/2020–राज्य कर, तारीख 4 जनवरी, 2021, संख्याक सं0फा0 03(75)/वित्त (राजस्व–I)/2020–21/डीएस–IV/11, तारीख 4 जनवरी, 2021 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग–IV में प्रकाशित और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व–विभाग) संख्या 75/2020–केंद्रीय कर, तारीख 15 अक्टूबर, 2020 संख्या सा.का.नि.635(अ), तारीख 15 अक्टूबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचनाओं का अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिशों पर, आयुक्त, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के प्ररूप **जीएसटीआर–1** में जावक आपूर्ति के ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए, प्रत्येक कर अवधि के लिए, समय सीमा का विस्तार ऐसी कर अवधि के लिए उत्तरवर्ती महीने के ग्यारहवें दिन तक करता है :

परंतु उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में परंतुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर–1** में जावक आपूर्ति के ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का ऐसी कर अवधि के उत्तरवर्ती महीने के तेरहवें दिन तक विस्तार किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी 2021 से लागू होगी।

(संतोष द. वैद्य)
आयुक्त (राज्य कर)

सं.फा. 2(354)/पॉलिसी/जीएसटी/2020/401-411 दिनांक: 29/01/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

1. सचिव (सामान्य प्रशासन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
2. सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।

3. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, भारत सरकार, प्रथम तल, सी.आर. भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली ।
4. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
5. अतिरिक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
6. सभी विशेष/अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, नई दिल्ली।
7. विशेष आयुक्त (पी.आर.), व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, नई दिल्ली को अधिसूचना के प्रचार के लिए।
8. सभी सहायक आयुक्त/माल एवं सेवा कर अधिकारी, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, नई दिल्ली को अधिसूचना के प्रचार के लिए।
9. प्रेसिडेंट/सचिव, सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन (पंजीकृत), व्यापार भवन, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।
11. वेब साईट।

(विवेक मित्तल)
सहायक आयुक्त (नीति)